तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एल0आर0/3471/2004/टोंक** **सरकार बनाम चन्द्रा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–
श्री शिव प्रकाश चौधरी, उपराजकीय अभिभाषक, प्रार्थी।
श्री समीर अहमद, अभिभाषक अप्रार्थी।

––

आदेश

दिनांकः–20.06.2025

यह रेफरेंस विद्वान अति0 जिला कलक्टर, टोंक ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 26–06–2004 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, देवली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी चन्द्रा पुत्र गौरू मीणा निवासी छातड़ी को ग्राम छातड़ी के साबिक खसरा नं0 326 में 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 06–02–1983 को आवंटित हुयी थी। उक्त भूमि का भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 का प्रकाशन दिनांक 30–11–1989 को हो चुका था। उसके बावजूद भी उक्त आवंटन आदेश दिनांक 06–02–1983 का हवाला देकर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नामान्तरकरण सं0 40 दिनांक 03–04–1992 द्वारा गैर खातेदारी का भरा गया तथा 17 दिवस पश्चात् ही खातेदारी जरिये नामान्तरकरण सं0 77 दिनांक 20–04–1992 से अप्रार्थी को प्रदान कर दी गयी। जो कि नियमों के विरूद्ध है। अतः नामान्तरकरण सं0 40 व 77 को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने इसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिपक्षी को डूब के मुआवजे व उसके प्रतिफल से वंचित रखने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 26–06–2004 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है।

3– विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एल0आर0/3471/2004/टोंक** **सरकार बनाम चन्द्रा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कथन किया है कि अप्रार्थी चन्द्रा पुत्र गोरू मीणा निवासी छातड़ी की साबिक खसरा 326 मिन में 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि वाके ग्राम छातडी में दिनांक 06–02–1983 की आवंटन हुई थी। सैटलमेन्ट के पश्चात तहसीलदार ने साबिक खसरा नंबर स्थान पर नवीन खसरा नम्बर 547, 550, 550, 567 रकबा 1.55 है0 पर अप्रार्थी को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के 9 वर्ष बाद गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 40 दिनांक 03–04–1992 स्वीकृत कर दिया तथा इसके बाद खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 77 दिनांक 20–04–1992 भरा गया जो अविधिक है क्योंकि उक्त ग्राम बीसलपुर परियोजना डूब क्षेत्र में है तथा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 का प्रकाशन दिनांक 30–11–1989 को ही हो चुका था उसके बाद उक्त गैर खातेदारी/खातेदारी के नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिये गये है जो अवैध एवं निरस्तनीय हैं। यह सब कार्यवाही अप्रार्थी के पटवारी, गिरदावर तथा तत्कालीन तहसीलदार की मिली भगत से मुआवजा दिलवाने के उद्देश्य से की गयी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 40 व 77 निरस्त कर भूमि पुनः सिवायचक दर्ज की जावें। 4– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी के तर्कों का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार, देवली द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध रेफरेन्स प्रस्तुत किया था। जिसमें 17–07–1999 को निर्णय पारित कर वर्तमान एवं साबिक जमाबन्दी, नकल मिलान क्षेत्रफल, खातेदारी व गैर खातेदारी दिये जाने सम्बन्धित आदेशों की प्रतियां एवं अन्य दस्तावेजात जो प्रकरण से सम्बन्धित हों संलग्न कर 1 माह में पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था, परन्तु तहसीलदार द्वारा 1 माह के पश्चात वर्ष 1999–2000 में प्रस्तुत न कर वर्ष 2002 में प्रस्तुत किया है जो मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य था। तहसीलदार द्वारा न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं की गई है क्योंकि रेफरेन्स के साथ आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की है। तहसील देवली में दिनांक 06–02–1983 को साबिक नं0 326 मिन में 6 बीघा 4 बिस्वा का आवंटन किया गया था जिसका गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 40 के सम्बन्ध में यह अंकित किया है कि हाल खसरा नम्बर 547, 550, 556, 567 रकबा 1.55 है0 से गैर खातेदारी व दिनांक 03–04–1992 को स्वीकृत की गई दूसरी आपत्ति यह उठाई है कि आवंटन के 10 वर्ष पूर्व ही खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 77 दिनांक 20–04–1992 को स्वीकार किया गया है। लगभग 21 वर्ष पहले प्रतिपक्षी के हक में जो गरीब भूमिहीन कृषक है को विधिवत् सिवायचक भूमि का आवंटन किया गया था। अतः खातेदारी का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एल0आर0/3471/2004/टोंक** **सरकार बनाम चन्द्रा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नामान्तरकरण तस्दीक करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः इस आधार पर आवंटन आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता है। आवंटन की वैधता के सम्बन्ध में कोई फाईडिंग या निर्णय इस रेफरेन्स के माध्यम से नहीं किया जा सकता है और 10 वर्ष पूर्व खातेदारी दिये जाने के आधार पर आवंटन आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह आवंटन नियम 14 (4) भू आवंटन नियम 1970 राज्य के अन्तर्गत ही देखी जा सकती है। केवल इस आधार पर कि 10 वर्ष पहले ही खातेदारी दे दी गई है। भूमि को सिवायचक घोषित करने के लिये प्रकरण मण्डल को प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता है। प्रतिपक्षी गत 20 वर्षो से भूमि पर काबिज है और काफी मेहनत एवं रूपया खर्च करके उसे काश्त योग्य बनाया है। प्रतिपक्षी भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है। भूमि बीसलपुर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आ चुकी है। भूमि अवाप्ति अधिनियमों के प्रावधानों के तहत भूमि डूब में आ जाने के कारण प्रतिपक्षी उक्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का भी अधिकारी है। उसको केवल इस आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि तहसीलदार या पटवारी तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा 10 साल पहले खातेदारी दी गई हो। नामान्तरकरण संख्या 40 गैर खातेदारी का आवंटन आदेश के आधार पर तस्दीक किया है, को इस आधार पर कि खातेदारी 10 वर्ष पूर्व दे दी गई है चेलेन्ज किया गया है। इस प्रक्रिया के आधार पर भूमि को सिवायचक नहीं किया जा सकता है। केवल खातेदारी का नामान्तरकरण चेलेन्ज किया जा सकता है। भूमि को सिवायचक केवल 14 (4) में आवंटन चेलेन्ज करने पर तथा आवंटन निरस्त होने पर दर्ज की जा सकती है। प्रतिपक्षी ने आवंटन में कोई फ्रॉड और मिसरिप्रजेन्टेशन किया हो अथवा आवंटन समिति द्वारा आवंटन नियमों का उल्लंघन किया हो या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई हो। ऐसा कोई कथन तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है और यदि इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति भी की जाती तो इस रेफरेन्स में उनके सम्बन्ध में जांच किया जाना अपेक्षित नहीं है। यह कार्यवाही केवल प्रतिपक्षी को डूब के मुआवजे व उसके प्रतिफल से वंचित रखने के लिए प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स सारहीन होने से खारिज किया जावें। 5– हमने विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व परिशीलन किया गया। 6– प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। 7– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एल0आर0/3471/2004/टोंक** **सरकार बनाम चन्द्रा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्पष्ट है कि अप्रार्थी चन्द्रा पुत्र गोरू मीणा को ग्राम छातड़ी में गत खसरा नम्बर 326 मिन में 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि दिनांक 06–02–1983 को आवंटन हुई थी। जिसके भू–प्रबन्ध के नवीन खसरा नम्बर 547, 550, 556, 567 रकबा 1.55 है0 भूमि का आवंटन के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार, देवली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 40 दिनांक 03–04–1992 से बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के अप्रार्थी को गैर खातेदारी दी है तथा मात्र 17 दिवस पश्चात ही दिनांक 20–04–1992 को नामान्तरकरण संख्या 77 से खातेदारी प्रदान कर दी गयी। जबकि इस भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में वर्ष 1989 में धारा 4 का प्रकाशन दिनांक 30–11–1989 को हो चुका है। धारा 4 की विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित भूमियों में आ जाने से ऐसी भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं की जा सकती है ना ही कोई और परिवर्तन किया जा सकता था। तहसीलदार गैर खातेदारी/खातेदारी देने में सक्षम नहीं है। अप्रार्थी के हक में अवैध गैर खातेदारी/खातेदारी के नामान्तरकरण स्वीकृत किये गये है। जो अप्रार्थी को पटवारी, गिरदावर तथा तहसीलदार की मिलीभगत से मुआवजा दिलाने की गरज से की गई कार्यवाही का द्योतक है। तत्कालीन तहसीलदार द्वारा किया गया कृत्य उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर पूर्णतया अवैधानिक एवं नियमों के प्रतिकूल है। अवैध नामान्तरकरणों को रेफरेन्स प्रकरण के माध्यम से निरस्त कराने हेतु तहसीलदार रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। इसलिए प्रार्थी तहसीलदार, देवली का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी के हक में भरे गये अवैध नामान्तरकरण संख्या 40 एवं 77 निरस्त कर भूमि सिवाय चक दर्ज करने की अभिशंषा के साथ राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया गया है। 8– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी को भू प्रबन्ध के पश्चात तथा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 की विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के गैर खातेदारी/ खातेदारी के नामान्तरकरण स्वीकृत करके खातेदारी प्रदान की गयी है। जो अवैधानिक एवं नियमों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। उपरोक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाना उचित मानते है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में प्रदत्त आदेश एवं विवादित भूमि के अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त कर वादग्रस्त आराजी को सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किया जाना उचित समझते है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एल0आर0/3471/2004/टोंक** **सरकार बनाम चन्द्रा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	9– फलस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स **स्वीकार** किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत दोनों नामान्तरकरण संख्या 40 एवं 77 अवैधानिक एवं नियमों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाकर पुनः भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। 10– आदेश की सूचना अधिवक्तागण को कम्प्यूटर के माध्यम से दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गौरव बजाड़)** **सदस्य**	